

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.3 (ख) (1) अलेसे-11/14529-538

दिनांक:- 18 जुलाई, 2013

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 163/2013-14 दिनांक 06.02.13 के क्रम संख्या 08 (मेरिट नं० 393/2011) श्री राजेश कुमार सोनी के नाम के कॉलम सं० 08 में अंकित "कार्यालय उपकोषाधिकारी, उप कोषालय, पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़" के स्थान पर (प्रार्थी के विकलांग होने के कारण) "कार्यालय उपकोषाधिकारी, उपकोष रामगढ़ जिला अलवर" पढ़ा जावे।


निदेशक

क्रमांक: एफ.3 (ख) (1) अलेसे-11/14529-538

दिनांक:- 18 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

अभ्यर्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था कराये !

4. उपकोषाधिकारी, उप कोषालय, पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़/रामगढ़ जिला अलवर।
5. श्री राजेश कुमार सोनी पुत्र श्री ओमप्रकाश सोनी, चौपड बाजार, रामगढ़ जिला अलवर (राज०)- 301026 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि तक उनके नाम के सामने अंकित कालम संख्या 8 में अंकित कार्यालय में दिनांक 01 अगस्त 2013 तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. संयुक्त निदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं रेकार्ड संधारित करने हेतु
7. निजी सहायक, निदेशक
8. गोपनीय शाखा
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)